महिला सशक्तिकरण – शक्ति एवं अधिकार

धीरेन्द्र प्रताप*

किसी भी राष्ट के सम्पूर्ण विकास के महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस राष्ट की महिलाएॅ सबल एवं सशक्त होंगी वह राष्ट उतना ही प्रगतिशील एवं विकसित होगा । परिवार एवं समाज निमार्ण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण हांता है। राष्टनिमार्ण में नारी की केन्द्रीय भूमिका होती है। जार्ज हर्बर्ट के अनुसार – एक अच्छी माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है, इसीलिए उसका हर हालत में सम्मान करना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण का नाम आते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आज हमें उनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है– महिलाओं को सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त करना। व्यापक अर्थ में – सत्ता में उनकी भागीदारी, निति निमार्ण एवं निमार्ण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी, प्रशासन तथा प्रबन्ध में उनकी भागीदारी, तकनीकी एवं प्रोफेशनल सेवाओं में उनका अनुपात, संसद एवं विधानमण्डल में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है आज हमारे लिए यह प्रश्न है कि क्या हमारे समाज में महिलाओ कि ऐसी स्थिति है। तो हमे कहना पडेगा नही।

हमारे समाज में बैदिक काल में नारी का स्थान बहुत उच्च था। और हमारा अखण्ड भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था। भारतीय मानस में उसे देवी की संज्ञा दी गयी थी। प्राचीन धार्मिक ग्रन्थो में

'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'

अर्थात जहाँ नारी पूजनीय होती है वहाँ देवता निवास करते है।

प्रचीन काल में महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्त था। वह यज्ञ कर सकती थी, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उनके शिक्षा एवं साहित्य में उन्हें समानता प्राप्त थी। महिलाओं ने स्वयं तो समाज में उच्च स्थिति किया ही वे पुरूषों की प्रेरणा भी बनी जैसे – ज्ञानेश्वरी, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, विखम्यरा व विद्योत्मा आदि। कालान्तर में नारी स्थिति का हास्य हुआ है। मध्यकाल आजे– आते चरम पर पहुॅच गया, मुगल काल में कुछ महिलाओं ने जैसे – रजिया सुल्तान, नूर जहॉ ने सल्तनत चलाकर अपनी राजनीतिक क्षयता का परिचय दिया परन्तु धीरे – धीरे परिस्थितियॉ परिवर्तित हुयी। पित्रपूजा के महात्म्य में अभिवृद्वि हुई और क्रियान्विति पुत्र द्वारा ही सम्भव थी, पुत्री द्वारा नहीं । विवाह आयु घटने लगी, विद्यवा विवाह निषिद्व हो गये, इसीक्रम दहेज प्रथा, बाल–विवाह, कन्या हत्या की समस्या उत्पन्न हो गयी। अंग्रेजो का मकसद भारत में शासन करना था, न की समाज सुधार करना। इसलिए ब्रिटिश काल में भी भारतीय नारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ हॉ कुछ छोटे मोटे प्रयास अवश्य हुए । आजादी के बाद ऐसा सोचा गया था कि भारतीय नारी एक नई हवा में सॉस लेगी तथा शोषण और उत्पीड़न से मुक्त होंगी, किन्तु हुआ उसका उल्टा ही। आजादी के बाद कानूनी स्तर पर नारी को सशक्त बनाने के प्रयास खूब हुए, किन्तु सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आने चाहिए वह प्ररिलक्षत नहीं हुआ जिसका मुख्य कारण हमारी पुरूषवादी मासिकता, जिसे हम बदल नहीं पाये और नारी के प्रति हमारा रवैया दोयम दर्जे का रहा। यही कारण है कि वैदिक काल में नारी शीर्ष पर थी, आज उसके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई।

* जे0आर0एफ0 समाजशास्त्र, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

महिला संघर्ष और अस्मिता को सबसे पहले 8 मार्च, 1975 को U N ने मान्यता दी और यह दिन अर्न्तराटीय महिला दिवस घोसित किया गया । लेकिन 40 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी महादेवी वर्मा की पंक्ति महिला की स्थिति की सच्चायी बयान करती नजर आती है। उनका कहना था कि संसार परिवर्तनशील है, यहॉ बड़े से बड़े सम्राज बह गये, संस्कृतियॉ लुप्त हो गयीं, जातियॉ मिट गयी, रीतिरिवाज बदल गये, रूढियॉ टूट गयीं, सब कुछ बदल गया पर स्त्रियों की स्थिति नहीं बदली है।

आज की स्थिति में राटीय अपराध रिकार्ड व्यवरों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढोत्तरी हो रही है। नेशनल क्राइम व्यवरो के अनुसार वर्ष 2013 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध इस प्रकार रहे अपराध 295890, बलात्कार 33707, धरेलू हिंसा 118866, यौन शोषण 70739, दहेज हत्या 8033 महिलाओं के खिलाफ हुये अपराध की दर वर्ष 2012 में जहॉ 21.3% थी। यह वर्ष 2013 में बढकर 22.4% हो गयी। इसका अर्थ है – महिला हिंसा के मामले में एक चौथाई से भी कम लोगों को सजा हुई है। SCRB की रिपोर्ट 2013 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 309,546, मामले दर्ज किये गये, जिनमें 70,739 छेड़छाड़ और 33,707 दुष्कर्म के मामले थे। 70% महिलाऍ धरेलू हिंसा का शिकार होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड व्यूरों के अनुसार वर्ष 2014 में देशभर में 160 औरतें टोनही या डायन बताकर मारी गयी। आदिवासी बाहुल्य राज्यों में बेगा, गुनियाओं और औझाओं के झॉसे में आकर पिछले एक दशक में 40 से अधिक औरतों को मार दिया गया।

20 नवम्बर 2015 की रात को महाराष्ट्र के शनि शिंगषापुर में एक महिला चार सौ साल पुरानी परम्परा को तोड़ते हुए मंदिर में प्रवेश कर गयी । उसने शनि को तेल चढ़ाया, इस पर मूर्ति को अपवित्र मानते हुए मंदिर प्रशासन ने शुद्विकरण किया और मंदिर को धोया गया।

राजस्थान में भीलवाड़ा, चितौड़गढ़, कोटा, बॉरा, वूटी, उदयपुर, टोके, आदि में पिछड़ी जातियों,समुदाय में नाता प्रथा प्रचलित है। हरियाणा, उत्तर – पूर्वी राजस्थान में पारो एक सामाजिक कुप्रथा का नाम है, इन दोनों प्रथाओं में औरतों की विक्री भेड़ बकरी की तरह की जाती है।

इन सब पहलुओ पर ध्यान देने पर फ्रॉसीसी कृति The Second Sex की लेखिका सिमोन द बोउवार की यह उक्ति चरित्वर्य होती है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि उसे बना दिया जाता है, आगे कहते है, यह दुनिया पुरूषों ने बनायी, पर स्त्री से पूछ कर नहीं महात्मा गॉधी ने कहा – स्त्री पुरूष की गुलाम नहीं – सहधर्मिगी, अर्धागिंनी, और मित्र है। फ्रॉस की क्रान्ति हो या विश्व युद्ध, पुरूष स्त्री से सहारा लेता है, और उसे पुनः धर लौट जाने के लिए कहता है। वह सदियों से ठगी गयी है, और यदि उसने कुछ स्वतंत्रता हासिल की है तो उतनी ही जितनी पुरूष ने अपनी सुविधा के देना चाहा। अतः स्त्री अमीर हो या गरीब, श्वेत हो या अश्वेत, उसे अपनी लड़ायी खुद ही लड़नी पड़ेगी।

"कोमल है तू कमजोर नहीं तू , शक्ति का नाम ही नारी है।
जग को जीवन देने वाली , मौत भी तुमसे हारी है।"

महिला सशक्ततीकरण की दिशा में सरकारी प्रयास :–

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिये गये नारे ' समानता ' विकास और शान्ति के साथ 1975 में मैक्सिको में आयोजित महिला दशक 1985 नैरोबी में सम्पन्न हुआ। इसी दैरान अन्तराष्ट्रीय महीला वर्ष भी मनाया गया। विश्व के इतिहास में सम्भवतः महिला विमर्ष की यह पहली सशक्त वैश्विक दशक था। भारत सरकार नें वर्ष 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जारी की तथा वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोसित किया गया। इस निति का उददेश्य महिलाओं की प्रगति, विकास और

सशक्तीकरण सुनिश्चित करना बौर महिलाओं के साथ हर तरह के भेद–भाव समाप्त कर उन्हे जीवन के हर क्षेत्र में खुलकर भागीदारी करनक का मार्ग सुनिश्चित करना है। इससे एक कदम आगे बढते हुए विभिन्न मंत्रालयों ओर राज्य सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उददेश्य से मार्च 2010 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उददेश्य भारत की महिलाओ को प्रभावित करने वाले मुददों जैसे – शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार, सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण तथा प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों एवं संस्थानात्मक प्रबन्धकों की बाधाओं को दूर करना है।

इस बार बेटी बचाओं–बेटी पढाओ, जैसी सामाजिक जिम्मेदारी की से भी लाभ की बड़ी आशा है।

प्रयास

महिला सशक्तीकरण के संवैधानिक प्रावधान :–

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करते है, जिसमें महिला अधिकारों के भाव व्याख्यास्वरूप स्पष्ट दिखायी देते हैं। इससे महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण आधार भी तैयार होता है।

अनुच्छेद : 14 महिलाओं ओर पुरूषों को राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद : 15 महिलाओं को लिगं के आधार पर भेद–भाव वर्जित करता है।

अनुच्छेद : 16 सभी नागरिको को रोजगार का समान अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद : 19 विचार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद : 21 प्रण व दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद : 23 मानव व्यापक व बलात श्रम निषेध ।

अनुच्छेद : 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिका के नियोजन की मनाहीं।

अनुच्छेद : 39 सुरक्षा और रोजगार का समान कार्य के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 42 : राज्य काम की न्यायसंगत व मनोवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध करेगा।

अनुच्छेद 46 : SC/ST और अन्य दुर्लब वर्गो के लिए शिक्षा और अर्थ हितो सम्बन्धी अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47 : पोषाहार और जीवन स्तर सुधार के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार।

अनुच्छेद 51 : (मूल कर्तव्य) ऐसी प्रथा का त्याग, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।इसके अतिरिक्त पंचायतो में प्रत्येक स्तर पर सदस्यों और अध्यक्षों के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने हेतु 73वॉ व 74वॉ संविधान संसोधन किया गया।

अनुच्छेद 243 (घ)(3) : प्रत्येक पंचायत में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (घ)(4) : पंचायतो में अध्यक्ष पद के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (न)(3) : नगरपालिका में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।

अनुच्छेद 243 (न)(4) : नगरपालिका अध्यक्ष के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित ।

अनुच्छेद 325 : बिना भेद–भाव निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का अधिकार ।

अनुच्छेद 226 : वयस्क मताधिकार।

संसद तथा विधान मण्डलों में महिलाओं के एक तिहाई सीटों पर आरक्षण हेतु महिला आरक्षण विद्येयक लाया गया है फिलहाल यह विद्येयक अभी पारित नहीं हो सका है जो हमारी पुरूषवादी मानसिकता को दर्शाता है।

महिला सशक्तीकरण से सम्बन्धित अधिनियम :–

संवैधानिक आधारों के अतिरिक्त महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अधिनियमों का प्रयास स्वतंत्रता संग्राम के दैरान किया गया। उसने जुड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शुरूआती प्रयासों के तौर पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1925) और शारदा एक्ट (1929) अंग्रेजी हुकूमत द्वारा क्रियान्वित कर समाजत्र को जागरूक बनानने में कुछ प्रयास थे।

स्वतन्त्रता के पश्चात महिला उन्मुख वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया, साथ ही महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने के लिए अधिनियमों का निर्माण एंव क्रियान्वयन किया गया जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना अधिनियम 1948, विशेष विवाह अधिनियम 1956, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (1986 में संशोधित), हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, सन 2005 में संशोधित, दहेज निषेध अधिनियम (1961), 2012 में संशोधित, प्रसूति – प्रसुविधा अधिनियम (1961), 2016 में संशोधित, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1969, भारतीय तलाक संशोधत अधिनियम 2001, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिरोध व निवारण) विद्येयक (2012) और महिलाओं के खिलाफ जधन्य यौन अपराध विद्येयक (2013) मुख्य है। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जो महिलाओं को संवैधानिक व कानूनी सुरक्षा के अधिकारों को ठीक ढंग से लागू करना है।

इन संवैधानिक प्रावधानों का ही यह परिणाम रहा आज महिला सशक्तीकरण की दिशा में हमारी आवाज को महत्व मिलता है और कोई भी समाज महिलाओं के प्रति सम्मान जनक व्यवहार करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में महिलाओं को कई मानवाधिकार किये गये है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाया जा सके।

IPC की धारा 47(2) :–में यह प्रावधान है कि वारंट द्वारा तलाशी के तहत पुलिस घर की महिला को अन्यत्र हटाये बिना धर की तलाशी नहीं ले सकेगी, बर्शते महिला अभियुक्त न हो।

IPC की धारा 51(2) :– के तहत महिला पुलिस ही महिला अभियुक्ति की तलाशी ले सकेगी ।

IPC की धारा53(2) :– के तहत किसी महिला मेडिकल जॉच किसी महिला चिकित्सक अथवा उनकी निगरानी में की जायेगा।

धारा 98 :– 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की के अपहरण और उसकी नजरबंदी के खिलाफ उसे मुक्ति की सुरक्षा प्रदान करती है।

धारा 125 :– अगर पति पत्नि को तलाक देता है या छोड़ देता है, जो उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित गुजारा भत्ता देना होगा।

धारा 160 :– किसी उम्र की महिला को उसके निवास स्थान के सिवाय थाना या अन्य स्थान पर कोई पुलिय अधिकारी साक्ष्य अथवा बयान के लिए नहीं बुला सकता है।

धारा 327(2) के तहत बलात्कार आदि मामले में सम्बन्धित युवती की तमाम मानसिक दबाव से मुक्ति के लिए इन मामलों की सुनवाई खुली कोर्ट में करके न्यायधीश द्वारा निर्धारित विशेष कक्ष में ही लिए जाने का प्रावधान है।

अमृता प्रतिमा का कथन– मर्द ने अभी दासी देखी हैं, वेश्या देखी हैं, देवी देखी है पर औरत नही देखी। यह वाक्य औरत को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है यह तो वे जान सकते है, जिन्होने एक औरत को देखा , परखा और सेमझा है।

प्रकृति ने महिला एवं पुरुष के बीच सेक्स(लिंग) भेद किया है लेकिन जेण्डर भेदभाव समाज की देन है जिसमें स्त्री को पुरुष की तुलना मे दोयम समझा जाता है।

You educate a man, you educate a man.

You educate a woman, you educate a generation;

शिक्षा के क्षेत्र में समानता एक दिखावा मात्र है जनगणना 2011 मे महिला साक्षरता दर 65.46/ तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 यह दिखाता है कि साक्षरता में महिलाओ की स्थिति कैसी है। इसी तरह सरकारी ऑकड़े बातते है कि 6 से 10 साल की करीब 25 लड़कियो को स्कूल छोड़ना पड़ता है वही 10 से 13 साल की 50 लड़कियो को स्कूल छोड़ना पड़ता है। 2008 में एक सरकारी सर्वेक्षण में 42 लड़कियो ने यह बताया कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती है, क्योंकि उनके माता–पिता उन्हे घर सॅभालने और अपने छोटे भाई बहनो की देखभाल करने को कहते है।

2011 की जनेंख्या के अनुसार देश में औरत लिंगानुपात 1000 पुरुषो पर 943 महिलॉए ही है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 949 शहरी क्षेत्री में 929 ही है। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में लड़को की बढ़ती चाहत से देश में प्रति वर्ष औसतन 20 लाख कन्या भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है।

शिशु मृत्यु दर (2013) 40 है मात्रत्व मृत्यु दर (2011–13) 167 है 2011 में 0–6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर 919 है।

देश में 50 महिलांए कुपोषित है,उनमें आयतन की कमी की ताब है राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग व्यूरो के अनुसार 13–15 साल की किशोरियो की प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है परन्तु उन्हे 1500 कैलोरी वाला ही भोजन मिल पाता है। देश में स्वास्थ्य सेवाओ के निम्न स्तर के कारण 15–49 वर्ष तक की आयु वाली 35.6/ महिलॉए सामान्य रुप से स्वस्थ्य नही रहती है।

स्विट्जरलैण्ड की एक गैर–सरकारी संस्था विश्व आर्षिक मंच द्वारा 2016 के लिए जारी ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 144 राष्ट्रो को सूची में भारत का स्थान 87 वॉ है।

संकेतांक	**भारत की रैंकिंग**
1 आर्थिक भागीदारी और अवसर	136
2 शौक्षाणिक उपलाब्धि	113
3 स्वास्थ्य एंव उत्त्रजीविता	142
4 राजनीतिक सशक्तीकरण	9वॉ

निष्कर्ष

इन सब आंकड़ो को देखते हुए यह कहा जा सकता हैं कि वर्तमान में माहिलाओं की स्थिति अच्छी नही है। हम चाहे संविधान में किए गये प्रावधानो या धर्मशास्त्रो पर गौंर करे, चाहे हम आपनी परम्पराओ को देखे या फिर न्यायिक संस्थाओं के अभिमतों और प्राकृतिक सिद्धान्तों पर नजर डाले, सभी महिलाओ और पुरूषो मे बराबर और समानता की बात को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते है किन्तु यर्थाथ में महिलाओ की वर्तमान स्थिति किसी भी क्षेत्र में समानता की कसौटी पर खरी नही उतरती ।

हमारे देश में महिलाओ के सशक्तीकरण , विकास एंव कल्याण की भरपूर पहले सरकार की तरफ से हुयी है। इनके अच्छे परिवार भी मिले है तथा आधी दुनिया मे बदलाव भी दिख रहा है हमारे

देश की कई महिलाओ ने विश्व मे हमारे देश का नाम रोशन किया है जैसे –कल्पना चावला , सुनीता विलियम्स , किरेन बेदी, अरून्धती राय, सोनिया गॉधी, प्रतिभा पाटिल, मायावती, ममता बनर्जी, जय ललिता, पी0 वी0 संकु , साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, गीता कमकिर, आदि महिलाऍ। हमारे देश की महिलाओं के प्रेरण की स्त्रोत बनी है। भारतीय नारी सामाजिक, एवं राजनैतिक स्तरों पर कहीं अधिक सबल होकर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है। हालाकि और अच्छे परिणामों के लिए पुरूष प्रधान समाज के 'माइड सेट' में बदलाव की आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही है। महिला सशक्तीकरण व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि सर्व प्रथम उन अवरोधों को दूर किया जाए, जो नारी विकास में बाधक है। इसके लिए संवैधानिक कानूनों और योजनाओं को कागजों तक सीमित रहने के बजाए उन्हे एक आन्दोलन का रूप देकर लोगों के बीच लाया जाय। जब तक महिलाए सबल व सशक्त होकर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगी तब तक न राष्ट्र का विकास होगा और न ही लोकतन्त्र मजबूत होगा,

संदर्भ :

1. संविधान : लक्ष्मीकांत
2. परीक्षामंथन
3. डॉ. अर्पिता शर्मा : महिला सशक्तीकरण : एक कदम आगे की ओर प्रतियोगिता दर्पण
4. सामाजिक मुददे : जी0एल0 शर्मा
5. ध्रुबा हजारिका : वीमेन इम्पावरमेंट इन इण्डिया, रिसर्च इण्डिया पब्लिकेशन (2011)

●